कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी इलाहाबाद

पत्र संख्याः– एफपी/सीएफओ/आई–3/2018 दिनॉकः–अगस्त ,2018

सेवा में,

प्रबन्धक/आवेदक,
आर0आर0बी0 पब्लिक स्कूल,
इतरौरा, करछना, इलाहाबाद।

विषय– आर0आर0बी0 पब्लिक स्कूल, इतरौरा, करछना, इलाहाबाद में लगी अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं/ उपकरणों का कार्यशीलता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भः– आवदेक के प्रार्थना पत्र दिनांक– 21.08.2018 के सम्बन्ध मे।

कृपया उपरोक्त विषयक प्रबन्धक/आवेदक द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त प्रश्नगत विद्यालय में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं/उपकरणों के अग्निशमन कार्यशीलता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

प्रश्नगत विद्यालय में लगी अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं एव अभिलेखों का परीक्षण तथा निरीक्षण कराया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है।

1– विद्यालय भवन का टोटल प्लाट एरिया 1000.00 वर्गमी0 है, कवर्ड एरिया 500.00 वर्गमी0 है, एवं विद्यालय भवन की ऊॅचाई– 3.50 मीटर है।

2– विद्यालय भवन में अग्निशमन के सभी प्रकार के वाहन आ–जा सकते है।

3– फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0 मानक 2190 के अनुसार उपलब्ध एवं कार्यशील दशा में पाये गयें ।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर उपकरणों का कार्यशीलता प्रमाण–पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता हैं।

1– प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थओ का सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मेन्टीनेन्स सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाना अपेक्षित है।

2– किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

3– भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब अग्निशमन केन्द्र को दी जाये तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाना अपेक्षित है।

4–प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉकड्रिल/फायरड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियो को प्रदान की जाना अपेक्षित है।

5– वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा,फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण–पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।

6– भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण–पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

7– अग्निशमन उपकरणों का अनुरक्षण एवं मानचित्र के अनुसार भवन का निर्माण बनाये रखना आवश्यक होगा अथवा निर्गत किया जा रहा अग्निशमन कार्यशीलता प्रमाण–पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(आर0एस0मिश्र)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
इलाहाबाद।

Manager
R.R.B. Public School
Itraura, Karchhana, Prayagraj

PRINCIPAL
R. R. B. Public School
Itraura, Karchhana, Prayagraj